

अदालत.....जिला कलेक्टर.....मुकाम.....श्रीगंगानगर.....

.....वाद संख्या 18/2004 बोगाराम बनाम चेतनराम अधारा 88-53आरटीए न्यायालय  
उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर को मुन्तकिल करने बाबत.....

किस्म मुकदमा:-मुन्तकिली मुकदमा

प्रकरण सं०:- 37 / 2016

तारीख हुक्म	कार्यवाही विवरण	नम्बर व तारीख
31.03.2016	<p>उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर ने अपने पत्र संख्या राजस्व/16/160 दिनांक 26.02.2016 के द्वारा निवेदन किया है कि उनके न्यायालय में लंबित वाद संख्या 18/2004 बोगाराम बनाम चेतनराम दिनांक 06.11.07 को मुन्तकिल होकर उनके न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को सुनवाई के लिए अवसर दिया गया। प्रकरण में विवादित भूमि तहसील पदमपुर क्षेत्र की है तथा विवादित भूमि से संबंधित समस्त कार्यवाही उपखण्ड अधिकारी पदमपुर के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है। उक्त वाद को लेकर दोनों पक्षकारान द्वारा निर्णय हेतु अपरिहार्य/दबाब उन पर डाला जा रहा है जिसका उल्लेख पत्र में नहीं किया जा सकता। इसलिए उक्त प्रकरण को किसी अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना की गयी है।</p> <p>चूंकि उक्त प्रकरण से संबंधित विवादित भूमि तहसील पदमपुर क्षेत्र की है जो उपखण्ड अधिकारी पदमपुर के क्षेत्राधिकार में है। इसलिए न्याय की दृष्टि से उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के उक्त प्रतिवेदन को ध्यान में रखते हुए यह प्रकरण सुनवाई एवं निस्तारण हेतु उपखण्ड अधिकारी पदमपुर के न्यायालय में मुन्तकिल करना उचित समझते हैं।</p> <p>अतः उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के न्यायालय में लंबित वाद संख्या 18/2004 बोगाराम बनाम चेतनराम अन्तर्गत धारा 88-53 आरटीए को न्याय हित में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदमपुर में सुनवाई एवं निस्तारण के लिए मुन्तकिल किया जाता है।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर उनके न्यायालय में लंबित वाद संख्या 18/2004 बोगाराम बनाम चेतनराम अन्तर्गत धारा 88-53 आरटीए को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदमपुर को शीघ्र भिजवावें। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर व उपखण्ड अधिकारी पदमपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पक्षकार दिनांक 18.04.2016 को उपखण्ड अधिकारी पदमपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर नम्बर से कम हो।</p> <p>आदेश सुनाया गया।</p>	



( पी.सी.किशन )  
**जिला कलेक्टर**  
**श्रीगंगानगर**

691-92  
6-416